

दाखल ता 22 APR 2016

परिवाद-पत्र

CC 7902/9E

महाध्यायक अधीक्षक

मा. न्यायालय अधिकारी सो प्रथमवर्ग लोहमार्ग न्यायालय, दौण्ड की सेवा में सविनय सादर

12. RPF थाना :- लोनी
13. मामला रजि.क्रमांक :- 851 /2016.
14. धारा :- 147 रेल अधिनियम
15. घटना की दिनांक एवं समय :- दिनांक 22-04-2016 को समय 8.40 से 9.30 बजे
16. घटनास्थल :- रेल स्टेशन 83441
17. फरियादी का नाम व पता :- आ.प्र.अ. 0701225 विशाल मोहित RPF/थाना/लोनी
18. संलिप्त व्यक्ती का नाम व पता :- राजेंद्र शं. दयानंद सिंह कुमार उम्र 32 वर्ष.
पता - मोडेलवा नदी, 83441, जि. पुणे
19. जप्त मुद्देमाल का विवरण :-
20. मा. न्यायालय में हाजिर रहने की दिनांक व समय :- दिनांक 22-04-2016 को समय 12.00 बजे
21. जांच अधिकारी का नाम व पता :- वि.डी. पवार ASI/SMP/RPF/थाना/लोनी
22. घटना की संक्षिप्त हकीकत :- मा. न्यायालय की सिमा एवं रेलवे सुरक्षा बल, थाना, लोनी के कार्यक्षेत्र में दिनांक 22-04-2016 को कॉलम नं. 07 के व्यक्ती व्दाय कॉलम नं. 05 के घटनास्थल पर अनाधिकृत रूप से प्रोक्सिमिटी का उपयोग न करते हुये मना कनेक्शन लाइन क्षीय करते समय रेल अधिनियम की धारा 147 उल्लंघन किया है। कारणवश उक्त व्यक्ती को रेल अधिनियम के तहत "नोटिस" जारी कर उचित कानुनी कार्यवाही होने हेतु मा. न्यायालय के समक्ष उक्त मामला विचारण हेतु पेश किया जा रहा है।
- अतः मा. न्यायालय से विनती है कि, उक्त व्यक्ती के विरुद्ध उचित कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करके उक्त व्यक्ती के पास से जप्तशुदा माल के निपटारा हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलिप्त व्यक्ती के हस्ताक्षर :- राजेंद्र शं. कुमार

मे.हु.को.जा.व्हावे.

संलग्न दस्तावेज :- फरियाद, नोटीस

निरीक्षक
आर. पी. एफ. थाना, लोनी
Inspector
R.P.F. Thana, Loni

इस जय 500/0025116
पावती ३

मह. अधीक्षक,
भारतीय रेलवे

137127

55 04

21. 11. 1913

22 APR 2016

प्रथम वी व्यापक शिक्षा
लोहमार्ग, दौंड

ନିମ୍ନ- ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ାବୁକ ପୃଷ୍ଠା
 ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

35 of 5010 Handwritten 10/2/12

1948